आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

शस्त्र अपील वाद सं0-86/2017

राजीव कुमार सिंह

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

01.04.2024

आदेश

प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 8745/2022 में दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

" .....Having regard to the aforesaid facts and circumstances of the case and for the reasons mentioned herein above as also considering the law laid down by this Court in the case of Manish Kumar (supra) and Deepak Kumar (supra), I deem it fit and proper to allow the present writ petition, quash the order dated 28.04.2018, passed by the Commissioner, Saran Division, Saran at Chapra and remand the matter back to the Commissioner, Saran Division, Saran at Chapra to reconsider the aforesaid aspect of the matter and after granting an opportunity of hearing to the petitioner, pass appropriate orders, in accordance with law, within a period of 12 weeks of receipt/production of a copy of this order.

The writ petition stands allowed."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्ता राजीव कुमार सिंह, पिता-राम बिहारी सिंह, मोहल्ला-साहेबगंज, जिला-सारण, छपरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0-131/2016 संस्थित कर वाद की सुनवाई प्रारंभ की गयी। सुनवाई के पश्चात दिनांक 23.05.2017 को पारित आदेश में अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के समक्ष शस्त्र अपीलवाद सं0-86/2017 दायर किया गया। वाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात दिनांक 28.04.2018 को पारित आदेश में जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के आदेश को यथावत रखा गया। आयुक्त न्यायालय के उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 8745/2022 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक - उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्ता के स्व0 पिता एक D.B.B.L. Gun के अनुज्ञप्तिधारक थे। अपीलकर्ता अपने स्व0 पिता के द्वारा

Scanned with CamScanner

धारित शस्त्र को अपने पक्ष में हस्तांतरण कराना चाहते है। इस क्रम में अपीलकर्ता द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु न्यायालय जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0-131/2016 दायर किया गया था, जिसमें उनके आवेदन पर समुचित विचार नहीं करते हुए उसे रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा आयुक्त न्यायालय के समक्ष शस्त्र अपीलवाद सं0-86/2017 दायर किया गया था, परंतु इस स्तर पर भी उनके अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्रम में पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, उक्त प्रतिवेदन में अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं अंकित किया गया है परंतु उसपर कोई विचार नहीं किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्ता के उपर व्याप्त खतरे की आशंका का आकलन किए बिना ही केवल पुलिस अधीक्षक, सारण से प्राप्त प्रतिवेदन को आधार बनाकर उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है जो अवैधानिक तथा कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

उपर्युक्त के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला दण्डाधिकारी, सारण द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया। उनके द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0-131/2016 की सुनवाई के क्रम में यह पाया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक या उनके परिवार के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित कोई स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं पाया गया है। सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता द्वारा अपने बयान में भी ऐसी किसी घटना के घटित होने की वजह से किसी आशंका का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलकर्ता या उनके परिजनों के जानमाल पर किसी खतरे की आशंका से संबंधित कोई स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं रहने के कारण उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इस स्तर पर दायर शस्त्र अपीलवाद सं0-86/17 में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाए जाने के आधार पर उसे यथावत रखा गया है।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा दिनांक 23.05.2017 को पारित आदेश तथा आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा दिनांक 24.04.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 8745/2022 दायर किया गया। जिसमें अपीलकर्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि वे एक भूमिवान व्यक्ति है तथा उनके पास आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्ति है, जिसके कारण उन्हें असामाजिक तत्वों से खतरा है। ऐसे में वे अपने स्व0 पिता द्वारा धारित D.B.B.L. गन को अपने पक्ष में हस्तांतरित कराने तथा इस हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की प्राप्ति का

Scanned with CamScanner

आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष दिया गया था।

मामलें की सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पारित आदेश में कतिपय निर्णय यथा *Manish Kumar & others Vs the State of Bihar & other तथा State of Bihar Vs Deepak Kumar* में पारित आदेश के आलोक में मामलें की सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु वाद वापस किया गया है।

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों और निम्न न्यायालीय अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्ति की असामाजिक तत्वों से रक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता जतायी गयी है, जबकि निम्न न्यायालीय आदेश में अपीलकर्ता के जानमाल पर खतरे की आशंका पुलिस प्रतिवेदन में नहीं पाए जाने के आधार पर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन को खारिज किया गया है।

Manish Kumar & ors. Vs The State of Bihar & ors. तथा The State of Bihar Vs Deepak Kumar के आलोक में केवल वास्तविक खतरे की आशंका ही नहीं बल्कि Arms Rules, 2016 के कंडिका 12 (3)(a) में अंकित प्रावधान *"any person who by the very nature of his business, profession, job or otherwise has genuine requirement to protect his life and/or property...."* के आलोक में भी किसी आवेदनकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर भी विचार किए जाने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रस्तुत वाद जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **Manish Kumar (Supra)** एवं **Deepak Kumar (Supra)** में दिए गए observation के आलोक में एवं Ministry of Home Affairs IS-II Division/Arms Section New Delhi के पत्र सं0-V-11016/16/2009-Arms, दिनांक 31.03.2010 के कंडिका (ii)(b) में उल्लेखित बिन्दुओं *(i) antecedents of the applicant, (ii) assessment of the threat, (iii) capability of the applicant to handle arms, and (iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence* पर पुलिस अधीक्षक से बिन्दुवार स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त कर अपीलकर्त्ता को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने के बिन्दु पर एक सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश पारित करें।

उपर्युक्त निदेश के साथ प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner